न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

II/निगरानी/सिंगरौली/भू.रा/2018/2427

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी

विन्ध्येश्वरी प्रसाद पुत्र श्री संकठा प्रसाद जयसवाल
उम्र 55 वर्ष, व्यवसाय–खेती, निवासी–ग्राम उर्ती
तहसील व जिला सिंगरौली (म.प्र.)

.......आवेदक

श्री स्मृति शर्मा अभि० आज दि. 16-4-18 प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 20-4-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 16-4-18

बनाम

1. मध्यप्रदेश शासन
2. विजयानंद पुत्र रामाधार
   निवासी–ग्राम उर्ती तहसील व जिला सिंगरौली (म.प्र.) ....**अनावेदकगण**

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय, ,द्वारा प्रकरण क्रमांक 65/अ–5/16–17 में पारित आदेश दिनांक 23.03.2018</u>

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य : –

1. यहकि, आवेदक द्वारा विवादित सर्वे क्रमांक (पुराना) 122/4 रकवा 0.364 है. जिसका वन्दोवस्त के दोरान नया नम्बर 526, 527, 528, 521, 530 एवं 536, 537 निर्मित किया एवं सर्वे क्रमांक (पुराना) 125 जिसका नया सर्वे नं. 538 के संबंध में न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय

2018-APRIL-169

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(47)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/सिंगरौली/भू.रा./2018/2427

विन्ध्येश्वरी विरूद्ध शासन व विजयानंद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-06-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुन्दरम श्रीवास्तव, अनावेदक क्रमांक 1 शासन की ओर से श्री मुकेश शर्मा एवं अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से श्री डी. एस. चौहान उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 65/अ-5/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 23-03-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. यह प्रकरण दिनांक 30-09-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	30-9-19